दिनांक 22.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 41 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा माघ मेला की तैयारियों के दृष्टिगत प्रयागराज में आयोजित संगोष्ठी एवं टेबल–टॉप एक्सरसाइज

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 22.12.205 को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा माघ मेला के दृष्टिगत भीड़ के प्रभावी व्यवस्थापन, डूबने की घटनाओं की रोकथाम, शीत लहर तथा अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर आयोजित संगोष्ठी एवं टेबल–टॉप एक्सरसाइज में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

संगोष्ठी की शुरूआत उत्तर प्रदेश स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन श्री योगेन्द्र डिमरी, लेफ्टिनेंट जनरल(रिटा0) द्वारा अपने संबोधन से की गयी।

संगोष्ठी में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रमुख वक्ता के तौर पर अपने उद्बोधन में कहा गया कि कुंभ एवं माघ मेला विश्व के सबसे बड़े **सार्वजनिक जनसमूह आयोजनों (Public Gathering Events)** में से हैं। कुंभ मेला और माघ मेला में भी कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वहाँ एक ही समय में और एक ही स्थान पर उपस्थित जनसमूह की संख्या अत्यंत विशाल हो जाती है।

ऐसे आयोजनों में जहाँ चुनौती केवल भीड़ की विशाल संख्या नहीं, बल्कि उसकी **निरंतर बदलती, गतिशील प्रकृति** होती है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों में उच्च घनत्व वाली भीड़, नदी से जुड़े जोखिम, शीत लहर के प्रभाव, अग्नि दुर्घटनाओं की संभावनाएँ तथा परिवहन, ट्रैफिक और पार्किंग से संबंधित समस्याएँ एक साथ उत्पन्न होती हैं, जिनसे निपटने के लिए समग्र और बहुआयामी रणनीति आवश्यक है।

पुलिस महानिदेशक ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अब व्यवस्थापन का दृष्टिकोण केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि **पूर्वानुमान आधारित, योजनाबद्ध और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित** करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग अपनी–अपनी तैयारियाँ करते हैं, किंतु

किसी भी आपात स्थिति में इन सभी तैयारियों को एकीकृत, समन्वित और समयबद्ध प्रतिक्रिया में परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है।

पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रवेश–निकास मार्गों की वैज्ञानिक योजना, स्नान घाटों पर भीड़ की आवाजाही के संतुलित प्रबंधन तथा **माइक्रो–क्राउड की निरंतर निगरानी** को माघ मेले की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा अपने संबोधन में कहा कि एसडीआरएफ (SDRF) अब केवल एक बैक–अप बल नहीं, बल्कि भीड़ सुरक्षा और **आपदा प्रबंधन की ऑपरेशनल व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुका है**, जिसने पूर्व आयोजनों में उच्च स्तर की दक्षता और पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन किया है।

अग्नि दुर्घटना, शीत लहर और डूबने से संबंधित जोखिमों पर चर्चा करते हुए पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि इन सभी संभावित खतरों के लिए विभागों के बीच **सतत् समन्वय, प्रभावी संचार और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र** आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि पूर्व अनुभव होने के बावजूद किसी भी स्तर पर आत्मसंतोष या शिथिलता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन नई परिस्थितियाँ और नई चुनौतियाँ सामने लाता है।

अंत में पुलिस महानिदेशक ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की संगोष्ठियाँ एवं टेबल–टॉप एक्सरसाइज़ प्रशासन और पुलिस की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ बनाएँगी तथा आगामी माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

संगोष्ठी के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल **पी0एस0 शेखावत**, जीओसी मध्य भारत, जबलपुर (General Officer Commanding), अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन **श्री संजीव गुप्ता**, मंडलायुक्त **श्रीमती सौम्या अग्रवाल**, **श्री प्रवीण किशोर**, परियोजना समन्वयक(प्रशिक्षण), यूपी एसडीएमए, **श्री अनिमेष सिंह**, सीएफओ, माघ मेला प्रयागराज, **श्री संतोष कुमार**, 2IC, 11बीएन एनडीआरएफ, वाराणसी, डीडीएमए प्रयागराज, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, वाराणसी एवं **श्री संदीप मेहरोत्रा**, कर्नल(रिटा0) वरिष्ठ सलाहकार यूपी एसडीएमए द्वारा अपने वक्तव्य दिये गये।

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश पुलिस
PREMIER

SYNDICATE
F
SYNDICATE
G

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश पुलिस
PREMIER

SYNDICATE
F
SYNDICATE
G

दिनांक 22.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 42/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 22.12.2025 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई** द्वारा **प्रधानाध्यापक श्री डब्लू कुमार** (तैनाती प्राथमिक विद्यालय देवहडा विकास खण्ड कलान जनपद शाहजहाँपुर) निवासी पठान पाडा थाना राया जनपद मथुरा से अनुपस्थिति का वेतन बहाल करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में राजकीय इण्टर कॉलेज कलॉन के सामने सडक किनारे मिठाई की दुकान के पास से **शिक्षा विभाग (विकास खण्ड कलॉन जनपद शाहजहाँपुर)** के **खण्ड शिक्षाधिकारी सतीश कुमार मिश्रा** पुत्र राम कुमार मिश्रा निवासी ग्राम अनेग बेहटा अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस के पीछे थाना सदर जनपद हरदोई एवं **सहायक अध्यापक (एआरपी) सुशील कुमार सिंह** पुत्र श्याम बहादुर सिंह निवासी सन्तगाडिसे वाली गली हरपाल मन्दिर गणेश नगर थाना सुभाष नगर जनपद बरेली को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 22.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली अकबरपुर

• 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 21.12.2025 की रात्रि थाना कोतवाली अकबरपुर, सर्विलांस व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोहन्ना बाईपास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली अकबरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि निवासी मोहल्ला शहजादपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

जनपद कानपुर नगर/थाना साढ़

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.12.2025 को थाना साढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गुगुरा, यूकेलिप्टिस बाग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्द्रशेखर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना साढ़ पर पजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना साढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चन्द्रशेखर निवासी ग्राम दूल थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर।

जनपद उन्नाव/थाना माखी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 22.12.2025 को थाना माखी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगाएक्सप्रेस वे अण्डरपास ग्राम चौधरीखेड़ा के पास से 04 अभियुक्तों 1–शान्ती बाबू 2–निखिल 3–कुलदीप 4–पुनीत को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना माखी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना माखी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना माखी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शान्ती बाबू निवासी ग्राम पिडना थाना बेहटा मुजाबर जनपद उन्नाव।

2–निखिल निवासी ग्राम जखैला थाना आसीवन जनपद उन्नाव।

3–कुलदीप निवासी ग्राम पिडना थाना बेहटा मुजाबर जनपद उन्नाव।

4–पुनीत निवासी पमेधिया थाना आसीवन जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि।

जनपद बांदा/थाना अतर्रा

●02 अभियुक्त गिरफ्तार

●चोरी के 01 लाख 45 हजार 500 रूपये नगद

●01 अवैध तमंचा 01 जीवित कारतूस

●घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 21/22.12.2025 की रात्रि थाना अतर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–गिरबल 2–निरबल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 01 लाख 45 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 01 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तार व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गिरबल निवासी चन्द्रपुरा थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

2–निरबल निवासी चन्द्रपुरा थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 45 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 01 जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

➢ **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त

1–धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेन्द्र 2–नरेश उर्फ संदीप उर्फ राहुल 3–सुनील उर्फ सागर 4–साजिद को धारा 394/395/397/342/120बी/376डी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 81 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–जुबेर उर्फ सुनील उर्फ परवेज को धारा 394/395/397/342/120बी /376डी भादवि व 25(1–बी)(ए) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 86 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना मानिकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 504/506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जग्गू उर्फ मनोज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना हरदी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हरदी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उचितराम उर्फ पंजाबी को 10 वर्ष के कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————